**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1005**

**दिनांक 27.11.2019/ 6 अग्रहायण, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**सांप्रदायिक और भीड़ हिंसा**

**1005. श्री संजय सिंहः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) विगत तीन वर्षों में देश में सांप्रदायिक और भीड़ हिंसा में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;**

**(ख) इस प्रकार की हिंसा के क्या कारण हैं; और**

**(ग) सांप्रदायिक और भीड़ हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी )**

(क) से (ग): संविधान के प्रावधानों के अनुसार ‘‘लोक व्‍यवस्‍था’’ और ‘‘पुलिस’’ राज्‍य के विषय हैं। साम्‍प्रदायिक और भीड़ की हिंसा से निपटने सहित कानून और व्‍यवस्‍था को बनाये रखने तथा संगत आंकड़ों के रख-रखाव का उत्‍तरदायित्‍व संबंधित राज्‍य सरकारों का है। तथापि, भारत सरकार देश में आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्‍यवस्‍था की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी करती है और शरारती तत्वों के विरूद्ध तुरंत तथा कड़ी कार्रवाई करने और हिंसा भड़काने की संभावना वाली फर्जी खबरों और अफवाहों को फैलाने से रोकने तथा उनसे कारगर ढंग से निपटने के लिए उपाय करने के संबंध में भी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर यथोचित परामर्शी पत्र जारी करती है। इसके अतिरिक्‍त, राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को भीड़ हिंसा की घटनाओं को नियंत्रित करने और अमन-चैन तथा लोक शांति बनाए रखने के लिए उपाय करने की सलाह दी जाती है। सरकार ने इस संबंध में ऑडियो-विजुअल मीडिया के माध्‍यम से जन-जागरूकता भी पैदा की है। इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने हिंसा भड़काने की संभावना वाली झूठी खबरों और अफवाहों को फैलाने से रोकने हेतु कदम उठाने के लिए भी सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं को संवेदनशील बनाया है। राज्‍य सरकारों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में लोक व्‍यवस्‍था बनाए रखने में मदद और सहायता करने के लिए सरकार सीएपीएफ तैनात करती है।

\*\*\*\*\*